एक तरफ लूट में पुलिसकर्मी घेरे में, दूसरी ओर टीआई पर गिरी गाज

- पुलिस की कारगुजारी हुई बेनकाब: लूट को दबाकर केस डायरी में किया खेल
- शहर में कानून के रखवाले ही सवालों के घेरे में

नव भारत न्यूज

इंदौर. शहर में कानून व्यवस्था संभालने वाली पुलिस खुद सवालों के घेरे में आ गई है. एक ओर पलासिया इलाके में व्यापारी से हुई लूट में दो पुलिसकर्मियों की संदिग्ध भूमिका सामने आई, जहां पहले मामले को दबाने की कोशिश हुई, वहीं दूसरी ओर किन्नर विवाद में गंभीर लापरवाही बरतने पर पंढरीनाथ थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया गया. दोनों ही मामलों में वरिष्ठ अधिकारियों को दखल देना पड़ा, तब जाकर कार्रवाई संभव हो सकी.

एसीपी तुषार सिंह ने बताया कि 7 फरवरी को व्यापारी अब्दुल फहद प्रॉपर्टी टैक्स की रकम एटीएम में जमा करने जा रहे थे, तभी चंद्रलोक कॉलोनी के पास साहिल और नावेद नामक युवकों ने दो पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर उन्हें रोका. आरोपियों ने फहद से 4 हजार यूएसटीडी ट्रांसफर करवा लिए और करीब दो लाख रुपये नकद लूट लिए. घटना के बाद पीड़ित

पलासिया थाने पहुंचा, लेकिन जैसे ही पुलिसकर्मियों के नाम सामने आए, मामले को समझौते में दबाने की कोशिश शुरू हो गई. फहद ने वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की, जिसके बाद एसीपी स्तर पर जांच करवाई गई की गई. सोमवार को दबाव बढ़ने पर पलासिया पुलिस ने नावेद और साहिल के खिलाफ लूट का मामला दर्ज किया. वहीं एमआईजी थाना में पदस्थ सिपाही मनोज और अविनाश की भूमिका की विभागीय जांच शुरू कर दी गई है. एसीपी तुषार सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आरोपियों के बीच पहले से क्रिप्टोकरेंसी को लेकर लेन-देन की बात भी सामने आई है, जिससे लूट की साजिश रची गई, मामले में जांच की जा रही है.

दो मामलों ने खोली पुलिस सिस्टम की पोल

जहां एक तरफ लूट जैसे संगीन अपराध में पुलिसकर्मियों पर संरक्षण और दबाव बनाने के आरोप लगे, वहीं दूसरी ओर गंभीर प्रकरण में अदालत तक जरूरी दस्तावेज न भेजने जैसी लापरवाही उजागर हुई. दोनों ही मामलों में जब तक वरिष्ठ अधिकारियों को हस्तक्षेप नहीं करना पड़ा, तब तक न तो एफआईआर हुई और न ही जिम्मेदारी तय की गई. सामने आए इन दो घटनाक्रमों ने पुलिस की कार्यप्रणाली और जवाबदेही पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है.

किन्नर विवाद में चूक पड़ी भारी, टीआई अजय राजोरिया पुलिस लाइन भेजे गए

इधर पंढरीनाथ थाना क्षेत्र में किन्नरों के बीच हुए विवाद में लापरवाही बरतने पर थाना प्रभारी अजय राजोरिया को लाइन अटैच कर दिया गया. डीसीपी जोन-1 लालकृष्ण चंदानी ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि टीआई को प्रशासनिक कारणों से पुलिस लाइन भेजा गया है. डीसीपी चंदानी के अनुसार किन्नर सपना गुरु के खिलाफ दर्ज मामले की केस डायरी समय पर कोर्ट में पेश नहीं की गई थी. इस गंभीर चूक का सीधा फायदा आरोपी को मिला और वह जमानत पर बाहर आ गई. समीक्षा के दौरान टीआई की भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई की गई. गौर करने वाली बात यह भी है कि कुछ दिन पहले टीआई अजय राजोरिया पर दो साल पुराने एक शिकायती आवेदन में एफआईआर दर्ज करने में देरी के आरोप भी लगे थे. लगातार शिकायतें और लापरवाह कार्यशैली सामने आने के बाद अधिकारियों ने आखिरकार सख्ती दिखाई.

ट्रैफिक पुलिस के कार्यवाहक प्रधान आरक्षक का पद से किया डिमोशन...

डीसीपी ट्रैफिक ने विभागीय कार्रवाई करते हुए कार्यवाहक प्रधान आरक्षक क्रमांक 2949 योगेंद्र सिंह रघुवंशी का उच्च पद का प्रभार वापस ले लिया. कर्तव्य में लापरवाही और कदाचार के चलते उन्हें प्रधान आरक्षक पद से हटाकर मूल पद आरक्षक के पद पर पदस्थ कर दिया है. डीसीपी ने स्पष्ट किया है कि लापरवाही करने वाले किसी भी कर्मी को बख्शा नहीं जाएगा.

कर्ज के दबाव में बैंक कर्मचारी ने खुद को मारी गोली

- मकान खाली कराने पहुंची थी बैंक की टीम

इंदौर. विजय नगर क्षेत्र में सोमवार शाम एक हृदयविदारक घटना सामने आई, जहां बैंक कर्मचारी हेमंत पिता एस.डी. ब्रह्मवंशी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. घटना सिनर्जी अस्पताल के पास स्थित उनके निवास की बताई जा रही है.

जानकारी के अनुसार बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अधिकारी मकान खाली कराने की प्रक्रिया के तहत उनके घर पहुंचे थे. इसी दौरान अधिकारी ऊपर

के कमरे में कागजी कार्रवाई कर रहे थे, तभी नीचे हेमंत ने यह आत्मघाती कदम उठा लिया. बताया जा रहा है कि मृतक के मकान पर करीब ढाई करोड़ रुपये का कर्ज था, जिसकी किस्तें पिछले डेढ़ साल से बकाया चल रही थीं. आर्थिक संकट और लगातार दबाव के चलते वह मानसिक तनाव में थे. सूचना मिलते ही विजय नगर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. थाना प्रभारी चंद्रकांत पटेल ने बताया कि पुलिस ने मर्ग कायम कर आत्महत्या के कारणों की जांच शुरू कर दी है.

पीटीसी परिसर में पुलिसकर्मी की पत्नी ने लगाई फांसी

- आत्महत्या का कारण अज्ञात, जांच में जुटी पुलिस

इंदौर. पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज (पीटीसी) परिसर में सोमवार सुबह एक प्रधान आरक्षक की पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. सुबह जब पति की नजर कमरे में पड़ी, तो पत्नी साड़ी के फंदे पर झूलती मिली. घबराया पति तत्काल उसे लेकर एमवाय अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस के अनुसार मृतका का नाम स्नेहा जादौन (24 वर्ष) है. उसके पति शैलेंद्र जादौन पीटीसी में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ हैं और वहीं शासकीय आवास में रहते हैं. प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि घटना देर रात या तडके की है, जब घर में अन्य कोई मौजूद नहीं था. सूचना मिलते ही आजाद नगर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. आत्महत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है. कमरे से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है. घटना की गंभीरता को देखते हुए पीटीसी के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली. पुलिस परिजनों और आसपास रहने वालों के बयान दर्ज कर आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है.

निगम वर्कशॉप के बाहर खड़े वाहन और सिटी बस में लगी आग

- तत्काल मौके पर पहुंची दमकलों ने बड़ा हादसा टाला

इंदौर. सुभाष मार्ग स्थित नगर निगम वर्कशॉप के बाहर सोमवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब वहां खड़े निगम के कंडम वाहन में अचानक आग लग गई, जो देखते ही देखते पास खड़ी एक सिटी बस तक फैल गई. आग से उठता धुएं का गुबार दूर तक नजर आया.

फायर ब्रिग्रेड से मिली जानकारी के अनुसार, पहले नगर निगम वर्कशॉप के बाहर कबाड़ हालत में खड़े वाहन से धुआं उठा, जिसके बाद लपटें भड़कने लगीं. कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया और पास खड़ी सिटी बस भी उसकी चपेट में आ गई. गनीमत रही कि सभी वाहन खुले स्थान पर खड़े थे और बस खाली थी, जिससे किसी तरह की जनहानि नहीं हुई. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई दमकलें मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. दमकल कर्मियों ने समय रहते आग को वर्कशॉप के अंदर रखे अन्य वाहनों और सामान तक फैलने से रोक लिया. मल्हारगंज थाना टीआई वेदेंद्र सिंह कुशवाह ने बताया कि आग लगने के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो सका है. पुलिस

आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि आग किसी शरारती तत्व की हरकत है या शॉर्ट सर्किट अथवा अन्य तकनीकी कारण से लगी, मामले की जांच जारी है.

डायपर गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान

- पांच घंटे की मशक्कत के बाद पाया गया काबू

इंदौर. बिचौली मर्दाना क्षेत्र में रविवार देर रात एक डायपर और सेनेटरी पैड फैक्ट्री के गोदाम में भीषण आग लग गई. आग इतनी भयावह थी कि फायर ब्रिगेड को उस पर काबू पाने में करीब पांच घंटे का समय लग गया. हादसे में लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया.

घटना रात करीब 1:44 बजे दीपक पंवार के गोदाम में आग लगने की सूचना मिली थी. गांधी हॉल फायर स्टेशन से एएसआई शोभाराम मालवीय के नेतृत्व में दमकल दल मौके पर पहुंचा, लेकिन तब तक आग पूरे गोदाम में फैल चुकी थी. डायपर और सेनेटरी पैड जैसे ज्वलनशील सामान के कारण लपटें तेजी से भड़कती रहीं. आग बुझाने में करीब 30 हजार लीटर पानी का उपयोग किया गया और सुबह 5:35 बजे पूरी तरह नियंत्रण पाया जा सका. हादसे में बड़ी मात्रा में तैयार डायपर, फर्नीचर, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जलकर नष्ट हो गए. प्रारंभिक जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है.

पान दुकान पर काम कर रहे युवक की मौत, हार्ट अटैक की आशंका

इंदौर. कनाडिया थाना अंतर्गत बिचौली मर्दाना में पान दुकान पर काम कर रहे एक युवक की अचानक तबीयत बिगडने से मौत हो गई. प्रारंभिक जांच में मौत का कारण हार्ट अटैक माना जा रहा है, हालांकि वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगी.

थाना प्रभारी सहर्ष यादव ने बताया कि गुलमर्ग परिसर में रहने वाला 22 वर्षीय कुलदीप पिता शंभू सिंह बिचौली मर्दाना स्थित के-2 ढाबे के सामने एक पान कॉर्नर पर काम करता था. ड्यूटी के दौरान अचानक उसके सीने में तेज दर्द उठा और वह दुकान पर ही जमीन पर गिर पड़ा. मौके पर मौजूद एक ग्राहक ने समझदारी दिखाते हुए कुलदीप का मोबाइल फिंगरप्रिंट से अनलॉक कर परिजनों को सूचना दी. सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और युवक को तुरंत एमवाय अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस के अनुसार, कार्डियक अरेस्ट से मौत की आशंका जताई जा रही है. मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु का असली कारण पता चल सकेगा.

पत्नी रसोई में थी, ड्राइवर पति ने कमरे में फांसी लगाई

इंदौर. आजाद नगर थाना क्षेत्र में रविवार एक युवक ने घर के कमरे में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया. घटना के समय उसकी पत्नी रसोई में खाना बना रही थी. प्रारंभिक जांच में पुलिस नशे की हालत में उठाया गया कदम की आशंका जता रही है.

थाना प्रभारी लोकेश सिंह भदौरिया ने बताया कि मृतक का नाम कपिल पिता मोहनलाल सिसौदिया उम्र 30 साल निवासी अभिषेक नगर है. वह पीथमपुर की एक निजी कंपनी में ड्राइवर था. परिजनों ने बताया कि कपिल लंबे समय से शराब और गांजा पीने का आदी था, जिसके चलते वह अक्सर तनाव में रहता था. रविवार को छुट्टी होने के कारण कपिल घर पर ही था. शाम को उसकी पत्नी रसोई में खाना बना रही थी, इसी दौरान कपिल कमरे में गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया. काफी देर तक आवाज देने पर भी कोई जवाब नहीं मिला तो पत्नी को शक हुआ. झरोखे से झांककर देखा तो कपिल फंदे पर लटका मिला. शोर सुनकर आसपास के लोग जमा हुए और दरवाजा तोड़कर उसे नीचे उतारा गया. उसे तत्काल एमवाय अस्पताल ले जाया गया, जहां

डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस को कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. मामले में मर्ग कायम कर परिजनों के बयान लेकर आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है.

कॉलेज छात्रा ने भी फांसी लगाकर किया सुसाइड

इंदौर. डीआरपी लाइन स्थित क्वार्टर में रविवार को एक 17 वर्षीय छात्रा ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। छात्रा मूल रूप से धार जिले की रहने वाली थी और इंदौर में रहकर कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।एमजी रोड थाना पुलिस के अनुसार, मृतका की पहचान दुर्गा कन्नोजे (17) के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि रविवार शाम वह काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं निकली थी।इस पर उसकी चचेरी बहन उसे देखने कमरे तक गई, लेकिन वापस लौट आई।कुछ समय बाद जब दुर्गा को फिर आवाज दी गई और अंदर से कोई जवाब नहीं मिला, तो उसने अपने पिता विक्रम को इसकी जानकारी दी।इसके बाद परिवार के लोगों ने कमरे का दरवाजा तोड़ा, जहां दुर्गा अंदर फंदे पर लटकी हुई मिली. परिजनों के अनुसार दुर्गा एक दिन पहले ही धार से इंदौर आई थी।इससे पहले वह हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई शुरू होने के बाद वह अपने चाचा के यहां रहने लगी थी।पुलिस को मौके से किसी तरह का सुसाइड नोट नहीं मिला है।दुर्गा के पिता किसान हैं और उसकी एक बहन व एक भाई गांव में रहते हैं।वहीं, उसके चाचा और बुआ इंदौर पुलिस में पदस्थ बताए गए हैं।

कार्यालय मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग इंदौर, परिक्षेत्र इंदौर

गायत्री मंदिर के पास, ओल्ड पलासिया, इंदौर (म. प्र.)
ई-मेलः cepwdwest@mp.nic.in दूरभाषः 0731-2491825

निविदा विज्ञप्ति क्रमांक 14 / सा. / 40 / निविदा / 2025-26 इंदौर, दिनांक 05/02/2026

'निविदा आमंत्रण सूचना

निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाईन निविदा तीन लिफाफा पद्धति में आमंत्रित की जाती है, उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाईट http://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है:-

क्रं	पोर्टल क्रमांक	जिला	कार्य का नाम	अनुमानित राशि रू. लाख में	अमानत राशि रू. में	निविदा प्रपत्र की राशि रू. में	कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि
1.	2026_PWD RB_479898	अलिराजपुर	आलिराजपूर रोड़धा थोड़सिंधी से वालपुर मार्ग लम्बाई 22.240 कि.मी. का निर्माण कार्य मय पोल शिफ्टिंग कार्य सहित।	5060.93	2530465/-	50000/-	14 माह वर्षाकाल सहित।
2.	2026_PWD RB_479899	अलिराजपुर	बिछोली हाथीपाई फलिया से ककड़वाल सिलोटा मार्ग लम्बाई 06.70 कि.मी. का निर्माण कार्य मय पोल शिफ्टिंग कार्य सहित।	864.57	864570/-	20000/-	12 माह वर्षाकाल सहित।
3.	2026_PWD RB_479900	अलिराजपुर	वालपुर निचला फलिया से बेहड़वा व्हाया कुकड़िया मार्ग लम्बाई 07.00 कि.मी. का निर्माण कार्य मय पोल शिफ्टिंग कार्य सहित।	855.99	855990/-	20000/-	12 माह वर्षाकाल सहित।
4.	2026_PWD RB_479901	इंदौर	काकरिया बोरडिया से जमूड़ी सरवर जिंदाखेड़ा पलकाकरिया मार्ग लम्बाई 09.00 कि.मी. का निर्माण कार्य मय विद्युतीकरण	1099.14	1000000/-	30000/-	12 माह वर्षाकाल सहित।

निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन, यदि हो तो उसे समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जाकर केवल वेबसाईट पर ही प्रदर्शित किया जाएगा। सभी दस्तावेज केवल ऑनलाईन वेबसाईट पर ही प्रस्तुत करें। भौतिक रूप से कोई भी दस्तावेज इस कार्यालय में न भेजें जाए।

मुख्य अभियंता
लोनिवि इंदौर परिक्षेत्र इंदौर

G25585/25

किसान से साढ़े छह लाख की ऑनलाइन ठगी

इंदौर. सिमरोल क्षेत्र में साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है, जहां अज्ञात ठगों ने फर्जी मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए एक व्यक्ति के बैंक खाते से करीब साढ़े छह लाख रुपए निकाल लिए. 55 वर्षीय पीड़ित केदारसिंह धाकड़ निवासी सिमरोल की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उसके मोबाइल पर ओटीपी और ट्रांजेक्शन से जुड़े 30-40 मैसेज आए, जिसके बाद आईडीबीआई बैंक के खाते से 6 लाख 87 हजार 649 रुपए कटने की जानकारी मिली. जांच में सामने आया कि अज्ञात व्यक्ति ने व्हाट्सएप पर फर्जी चालान रसीद की एपीके फाइल भेजकर मोबाइल का अनाधिकृत एक्सेस लिया और ऑनलाइन धोखाधड़ी को अंजाम दिया. पुलिस साइबर तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है.

कपड़ों के शोरूम से ब्रांडेड कपड़ों की चोरी

इंदौर. द्वारकापुरी क्षेत्र स्थित एक कपड़ों के शोरूम से ब्रांडेड परिधानों की चोरी का मामला सामने आया है. 32 वर्षीय फरियादी रवीन्द्र मौर्य निवासी सेक्टर-ए सुदामा नगर की शिकायत पर पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है. थाना प्रभारी मनीष मिश्रा ने बताया कि फूटी कोठी स्थित फैशन फैक्ट्री शोरूम से आरोपी रामराज मीणा उम्र 22 साल और राहुल मीणा उम्र 28 साल, निवासी ग्राम पिलोदा तहसील वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर राजस्थान, विभिन्न ब्रांड की जींस और शर्ट चोरी कर ले गए. चुराए गए कपड़ों में तीन जींस, कलर प्लस की दो शर्ट, एलेन सोल्ली की दो शर्ट, ली की एक शर्ट, ट्विल्स की एक शर्ट और वैन ह्यूसेन की एक शर्ट शामिल हैं.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

(CIN-L65110TN2014PLC097792)

रजिस्टर्ड ऑफिस: केआरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031

फोन: +91 44 4564 4000, **फैक्स:** +91 44 4564 4022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

क्र. सं.	लोन एकाउंट नं.	लोन का प्रकार	सेक्शन 13 (2) नोटिस तिथि	सेक्शन 13 (2) नोटिस अनुसार बकाया राशि
1.	80511719	प्रॉपर्टी के बदले लोन	23.01.2026	रु. 4,95,241.38/-

देनदार और सह-देनदारों का नाम:- 1. दीपक देवा जी 2. किरण दीपक

संपत्ति का पता: प्रॉपर्टी/प्लॉट का पूरा टुकड़ा, कुल क्षेत्रफल 1600 वर्ग फुट, भूमि सर्वेक्षण संख्या 45 में, ग्राम हलुखेड़ी, पी.एच. संख्या 16, ग्राम पंचायत बीजपड़ी, तहसील तराना, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश में स्थित है, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं- पूर्व- अंबाराम का घर, पश्चिम- भरत सिंह का घर, उत्तर- पवन का घर, दक्षिण- आम सड़क.

क्र. सं.	लोन एकाउंट नं.	लोन का प्रकार	सेक्शन 13 (2) नोटिस तिथि	सेक्शन 13 (2) नोटिस अनुसार बकाया राशि
2.	26029959	होम लोन	30.01.2026	रु. 1,63,056.20/-

देनदार और सह-देनदारों का नाम:- 1. गजराज सिंह 2. विक्रम सिंह चौहान 3. रानू कुंवर

संपत्ति का पता: प्रॉपर्टी का पूरा टुकड़ा, मकान नंबर 72, कुल क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर, आबादी खसरा नंबर 313 पी.एच. नंबर 38 में स्थित है. गाँव डिकनिया, तहसील मल्हारगढ़, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश-458664, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं- पूर्व- सड़क, पश्चिम- बची हुई ज़मीन (खुली), उत्तर- खुला चौक, दक्षिण- सूरज कुंवर.

क्र. सं.	लोन एकाउंट नं.	लोन का प्रकार	सेक्शन 13 (2) नोटिस तिथि	सेक्शन 13 (2) नोटिस अनुसार बकाया राशि
3.	29622435	प्रॉपर्टी पर लोन	23.01.2026	रु. 1,43,207.72/-

देनदार और सह-देनदारों का नाम:- 1. साजन सिंह 2. सीमा सज्जन सिंह

संपत्ति का पता: वह पूरा आवासीय मकान जिसका माप पूर्व से पश्चिम 60 फीट, उत्तर से दक्षिण 15 फीट है, कुल क्षेत्रफल 900 वर्ग फीट यानी 83.64 वर्ग मीटर है, जो सर्वे नंबर 31, पटवारी हल्का नंबर 20, गाँव बरदाखेड़ी, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश-453220 में स्थित है, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं- पूर्व- आम रास्ता, पश्चिम- खुद की खुली ज़मीन, उत्तर- शंकर लाल का मकान, दक्षिण- शालिग राम का मकान.

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है). इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/-
प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

दिनांक: 10.2.2026
स्थान: मध्यप्रदेश

रिश्तेदार ने नाबालिग से किया दुष्कर्म

इंदौर. सिमरोल क्षेत्र अंतर्गत 16 वर्षीय किशोरी को रिश्तेदार युवक घुमाने-फिराने के बहाने ले गया और डरा-धमकाकर दुष्कर्म किया. पुलिस ने दूर के रिश्तेदार युवक के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और धमकी देने की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है.

पुलिस के अनुसार 5 फरवरी की शाम करीब 7.30 बजे पीड़िता शासकीय प्राथमिक स्कूल बैका के सामने खड़ी थी, तभी आरोपी विशाल औसारी निवासी ग्राम उमठ मोटरसाइकिल से पहुंचा और चोरल घुमाने के बहाने उसे साथ बैठा लिया. रास्ते में किशोरी ने वापस घर लौटने की बात कही, पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी और उसे मानपुर के जंगल में ले जाकर उसे दो बार अपनी हवस का शिकार बनाया. आरोपी ने यह बात किसी को बताने पर बदनाम करने की धमकी भी दी. पीड़िता की रिपोर्ट पर सिमरोल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरु कर दी है.

IDFC FIRST Bank

CIN-L65110TN2014PLC097792
रजिस्टर्ड ऑफिस: केआरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन: +91 44 4564 4000, फैक्स: +91 44 4564 4022

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

परिशिष्ट-IV-A [नियम 8 (6) और 9 (1) के प्रावधान देखें]
अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री नोटिस

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री नोटिस, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) और 9 (1) के प्रावधान के साथ पढ़ा गया

इसके द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से ऋणकर्ता (ओं), सह-ऋणकर्ता (ओं) और गारंटर (ओं) को कॉलम (iii) के अनुसार सूचित किया जाता है कि कॉलम (iv) के अनुसार नीचे वर्णित अचल संपत्तियां, सुरक्षित ऋणदाता को बंधक रखी गई हैं, जिनका कब्जा पूर्व में आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, 'जहां है, जैसा है', 'जो है, जैसा है', और 'जो कुछ भी है, जैसा कि इसके अंतर्गत वर्णित है, के आधार पर बेची जाएंगी. कॉलम (i) के अनुसार उधारकर्ता (ओं) और सह-उधारकर्ताओं (ओं) से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) को देय राशि की वसूली के लिए.

ऑनलाइन प्रॉपर्टी सर्वे

	i	ii	iii		v	vi	vii	viii	ix	x
स. क्र.	मांग नोटिस राशि	समझौता आईडी	देनदारों, सह-देनदारों और गारंटरों के नाम	बंधक संपत्ति का पता	रिजर्व प्राइस राशि	ईएमडी राशि	नीलामी की तिथि और समय	ईएमडी नीलामी की तिथि और समय	निरीक्षण की तिथि और समय	अधिकृत अधिकारी का नाम और संपर्क नंबर
1.	रु. 1061719.14 डिमांड नोटिस दिनांक 10 मई, 2025	137473050	सुनील सेन, सविता सेन और सुनील सैन C/o मां जानकी जेन्ट्स पार्लर	वह पूरा टुकड़ा और पार्सल फ्लैट नंबर 26, ग्राउंड फ्लोर, कुल एरिया 19.89 वर्ग मीटर, EWS, 'गौरीशंकर आवास', दिव्या विहार कॉलोनी, गांव जखिया, तहसील मल्हारगंज पहले सांवेर, इंदौर, मध्य प्रदेश-452015 में स्थित है, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं- पूर्व- खुली जगह, पश्चिम- फ्लैट नंबर 25, उत्तर- खुली जगह और दक्षिण- गलियारा/सड़क.	रु. 624240.00	रु. 62424.00	27 फरवरी, 2026 के 11 बजे से 1 बजे	26 फरवरी, 2026 के 10 बजे से 5 बजे	18 फरवरी, 2026 के 10 बजे से 4 बजे	नाम- कृष्णा शर्मा मो.नं. 9826470366 नाम- शिवम समारी मो.नं. 9179336669

अस्वीकरण: कृपया ध्यान दें कि उक्त नोटिस केवल अचल संपत्ति की बिक्री के लिए जारी किया गया है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड को अचल संपत्ति में मौजूद चल संपत्ति यदि कोई हो कि बिक्री का कोई अधिकार नहीं है.

दिनांक: 10-2-2026
स्थान: इन्दौर

अधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में आईडीएफसी बैंक लिमिटेड)